सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

Case File No. NCST/ATY-875/MP/11/2023-APCR Dated: 10.05.2023

To

1. **Ms. Tanvi Hooda**
Collector & District Magistrate
District - Jhabua
Jhabua-457661 (Madhya Pradesh)
E-mail: dmjhabua@nic.in

2. **Shri Agam Jain**
Superintendent of Police,
District - Jhabua
Jhabua-457661 (Madhya Pradesh)
E-mail: jhabua.sp@gmail.com

Subject: **Field Visit Report of the Investigation Team of the Commission conducted on 21.04.2023 in the matter of Shri Mukesh, S/o Punia Helot, Village - Sajeli Malji Saath, Tehsil - Meghnagar, District - Jhabua, Madhya Pradesh, in connection with creating a false case by holding the petitioner for questioning by the police.**

Sir/Madam,

I am directed to enclose a copy of the Field Visit Report of the Investigation Team consisting of Shri Ankit Kumar Sen, Research Officer, Ms. Amrita Solanki, Senior Investigator and Shri Avinash, Legal Consultant, National Commission for Scheduled Tribes constituted to investigate the matter cited above.

2. In this regard, It is requested that action taken / to be taken on the recommendations/ findings made in the report may please be sent within 07 days from the receipt of this letter for placing the same before the Hon'ble Commission.

Encl: as above

Yours faithfully,

(मिरांडा इंगुदम / Miranda Ingudam)
निदेशक / Director

Copy to:

Shri Mukesh
S/o Shri Punia Helot,
Village - with Sajeli Malji,
Tehsil - Meghnagar,
District - Jhabua,
Madhya Pradesh – 457777
Ph. No. 9630494647

Copy to: -
MC for uploading.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

फाइल क्रमांक NCST/ATY-875/MP/11/2023-APCR

मध्यप्रदेश जिला झाबुआ मे थांदला व सजेली मालजी मे किए गए दौरे का विवरण

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निर्देशानुसार श्री अंकित कुमार सेन, अनुसंधान अधिकारी, सुश्री अमृता सोलंकी, वरिष्ठ अन्वेषक, श्री अविनाश,विधिक सलाहकार द्वारा दिनांक 21.04.2023 को मध्यप्रदेश के जिला झाबुआ मे पुलिस थाना थांदला द्वारा ग्राम सजेली मालजी के प्रार्थी मुकेश पर झूठा आबकारी प्रकरण बनाने के संबंध में प्राप्त शिकायत की स्थलीय जांच की गई।

आयोग को प्राप्त शिकायत के तथ्य :-

दिनांक 03.01.2023 को प्रार्थी मुकेश हेलोद द्वारा एक लिखित शिकायत आयोग को प्रस्तुत की गयी। उक्त शिकायत मे लेख है कि दिनांक 1,दिसंबर 2022 को करीब 3:30PM बजे प्रार्थी अपनी मौसी की लड़की के इलाज के लिए थांदला अस्पताल जा रहा था तभी अस्पताल के बाहर से थांदला पुलिस ने चोरी की पूछताछ के लिए उसे पकड़ा और बाद मे दिनांक 3,दिसंबर 2022 को झूठा अवैध शराब का प्रकरण बना कर 4,दिसंबर 2022 को न्यायालय पेश किया और दिनांक 5,दिसंबर 2022 जेल भेज दिया। मोटर साइकिल जप्त कर ली और 3930 रुपए मे से मात्र 1930 रुपए वापस किए 2000 रुपये भी नहीं लौटाए। शिकायतकर्ता की जमानत मे परिवार के 30000 रूपये लग गए। शिकायतकर्ता द्वारा झूठे प्रकरण मे फसाने वाले जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की प्रार्थना आयोग से की गई थी।

आयोग द्वारा कि गई पूर्व मे की गई कार्यवाही :-

1. दिनांक 13.01.23 आयोग द्वारा झाबुआ कलेक्टर रजनी सिंह तथा झाबुआ पुलिस अधीक्षक अगम जैन को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस भेजा गया।
2. दिनांक 16.1.23 को झाबुआ पुलिस अधीक्षक तथा दिनांक 18.01.2023 को झाबुआ कलेक्टर द्वारा आयोग के नोटिस का उत्तर दिया।
3. दिनांक 28.3.23 को झाबुआ कलेक्टर रजनी सिंह तथा झाबुआ पुलिस अधीक्षक अगम जैन को सम्मन भेजा गया।
4. दिनांक 10.04.23 आयोग की सुनवाई मे शिकायतकर्ता एवं झाबुआ पुलिस अधीक्षक उपस्थित हुये। सुनवाई मे प्रस्तुत तथ्यो की आधार पर आयोग के माननीय सदस्य द्वारा स्थलीय निरीक्षण के निर्देश दिये गए।
5. आयोग द्वारा तीन सदस्यी जांच दल का गठन किया गया।

जांच दल द्वारा कि गई कार्यवाही :-

1. दिनांक 21.04.2023 को जांच दल थांदला पहुचा। प्रार्थी मुकेश द्वारा अस्पताल के सामने का वह स्थान बताया जहा पुलिस ने उसे पकड़ा था । सड़क के एक तरफ चिकित्सालय था और दूसरी और थाना आसपास खाने की सामग्री का ठेला था और कुछ दूरी पर दुकाने थी। कोई भी स्वतंत्र साक्षी मुकेश को पकड़ना बताने मे असमर्थ था पूछने पर भी किसी ने घटना की पुष्टि नहीं की ।
2. जांच दल ग्राम सजेली मालजी पहुचा। शिकायतकर्ता का घर ग्राम से दूर है आसपास प्रार्थी के कुटुंब के दो अन्य घर थे और पेट्रोलियम कंपनी का पीछे की तरफ गोडाउन था जिसमे एक गार्ड ड्यूटी पर था। आसपास के घर और गार्ड से पूछने पर मुकेश के घर पर शराब बनाने या बेचने की पुष्टि नहीं हुई ।
3. जांच दल को प्रार्थी द्वारा अपने घर के अंदर दीवाल पर बनी 2 खाने (शेल्फ) बताये। जिनमे विभिन्न जगह की यात्रा के बाद लाई गई भगवान की तस्वीरे थी। प्रार्थी द्वारा बताया गया की वह भगत (स्थानीय भाषा मे जो पुजा पाठ करता है और शराब नहीं पीता) है ।
4. जांच दल को प्रार्थी के माता पिता द्वारा बताया की मुकेश को ढूँढने कल्याणपुरा थाने की पुलिस आई थी और जब मुकेश नहीं मिला तो उसके छोटे भाई को ले गई। मुकेश और उसका दोस्त केदारनाथ जिस पिकअप वाले के साथ कुछ दिनो पहले गए थे वह कल्याणपुरा मे गोडाउन से सोयाबीन चोरी मे पकड़ा गया था। उसी ने मुकेश और उसके दोस्त का नाम चोरी मे बता दिया था । जब पुलिस को मुकेश नहीं मिला तो छोटे भाई को ले गई । करीब 10 दिन कल्याणपुरा पुलिस ने मुकेश के भाई को थाने मे रखा। उसके बाद मे थांदला पुलिस ने मुकेश को थांदला मे पकड़ा और दो दिन थाने मे बेठाकर रखा बाद मे शराब का केस लगा दिया। मुकेश के पिता द्वारा बताया की बहुत सालो पहले मुझ पर लड़ाई झगड़े और चोरी के 6 -7 केस थे जिनमे से एक मे सजा हुई बाकि मे मै बरी हो

गया था। किन्तु पुलिस ने मात्र पिता के पूर्व रिकार्ड देख कर और पिकअप वाले के कहने पर मुकेश और उसके भाई पर झूठे चोरी के केस लगा दिये। मुकेश के पास अवैध शराब होने का केस लगा दिया।

जांच दल का विश्लेषण :-

1. प्रस्तुत मामला पुलिस विरुद्ध जनता का है। पुलिस द्वारा अपने ही विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से जांच करवाई गई है एवं जांच रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की गई है। इस तरह की जांच मे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न होना जांच रिपोर्ट की निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न करता है।
2. पुलिस द्वारा प्रार्थी को जिन आपराधिक मामलो मे आरोपी बनाया उसमे न्यायालय मे चालान प्रस्तुत किया गया यह स्पष्ट नहीं है।
3. यदि तीनों प्रकरणो मे चालान प्रस्तुत किया गया है तो पुलिस अनुसंधान अधिकारी द्वारा जो आरोप प्रार्थी पर लगाए गए है उसकी पुष्टि हेतु कौन से साक्ष्य पुलिस के पास है वह भी पुलिस द्वारा आयोग के समक्ष स्पष्ट नहीं किये गये है।

अतः आयोग द्वारा अगली सुनवाई मे इन तथ्यों के आधार पर पुलिस अधिकारियों से उपरोक्त दस्तावेजो के संबंध मे प्रश्न किए जा सकते है,तथा अन्य किसी विभाग से जांच की अनुशंसा की जा सकती है ताकि प्रकरण मे नैसर्गिक न्याय का पालन हो सके।

(अंकित कुमार सेन)	(अमृता सोलंकी)	(अविनाश)
अनुसन्धान अधिकारी	वरिष्ठ अन्वेषक	विधिक सलाहकार